

## खण्ड-III

## आयोजना परिव्यय 2014-2015

सरकार ब.अ. 2014-15 (आयोजना) से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का पुनर्गठन कर रही है। तदनुसार 66 स्कीमों में 126 सीएसएस का पुनर्गठन किया गया है, जिनमें 17 फ्लेगशिप कार्यक्रम शामिल हैं। यह निर्णय लेने का आशय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन में अधिकाधिक सामंजस्य बनाना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्कीमों के क्रियान्वयन की संकेन्द्रित मानीटरी करना है। इससे संसाधनों के क्षीण विस्तार पर भी रोक लगेगी। ऐसी सभी 66 स्कीमों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की समेकित निधि के माध्यम से

अंतरण हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों को निधियां दी गई हैं। इससे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की आयोजना-स्कीमों पर स्वामित्व की भावना बढ़ेगी। ब.अ. 2014-15 में इन स्कीमों के अंतर्गत निधियां दी गई हैं, जो राज्य आयोजना की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में हैं। इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजना के अंतर्गत बहुत अधिक आवंटन परिलक्षित होता है।

2013-2014 के परिव्यय की तुलना में 2014-15 की आयोजना परिव्यय व्यवस्था इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

	वास्तविक आंकड़े 2012-13	बजट अनुमान 2013-2014	संशोधित अनुमान 2013-2014	बजट अनुमान 2014-2015
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	304739.24	419068.00	356492.88	216759.65
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	193736.99	261055.39	257641.13	248173.94
<b>केन्द्रीय आयोजना परिव्यय</b>	<b>498476.23</b>	<b>680123.39</b>	<b>614134.01</b>	<b>464933.59</b>
<b>राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता</b>	<b>108885.68</b>	<b>136254.00</b>	<b>119038.93</b>	<b>338562.35</b>

## कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

**फसल कार्य :** कृषि जिनसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। केन्द्रीय आयोजना में फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 3348.90 करोड़ रुपए है। इसमें पुनर्गठित स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय कृषि विस्तार उप-मिशन, बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि तंत्र उप-मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और औयल पाम मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी स्कीम और राष्ट्रीय फसल बीमा स्कीम के लिए प्रावधान शामिल है।

**मृदा और जल संरक्षण:** इस शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय आयोजना के अधीन 18.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जो अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण के लिए है।

**सहकारिता:** केन्द्रीय आयोजना में इस शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय 96.50 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्य रूप से कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत स्कीम के लिए है, जो पुनः विकास क्रियाकलाप आदि के लिए एनसीडीसी के माध्यम से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए है।

**अन्य कृषि कार्यक्रम:** केन्द्रीय आयोजना में परिव्यय इस शीर्ष के लिए 647.09 करोड़ रुपए है, जो पुनर्गठन स्कीम, कृषि विपणन संबंध एकीकृत स्कीम के लिए है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र:** केन्द्रीय आयोजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 194.51 करोड़ रुपए दिया गया है।

**पशुपालन :** 975.47 करोड़ रुपए का परिव्यय पशुधन स्वास्थ्य विकास, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और मवेशी विकास कार्यक्रम के लिए है। सामान्यतः पशुधन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति उपलब्ध कराना तथा पशु रोगों का नियंत्रण।

**डेरी विकास:** 504.47 करोड़ रुपए का परिव्यय राष्ट्रीय डेरी योजना, डेरी उद्यम और राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम के लिए है।

**मत्स्य पालन:** 377.96 करोड़ रुपए का परिव्यय राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, समुद्री मत्स्य पालन के विकास, अवसंरचना और लुनाई के बाद के कार्य, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम, अंतर्देशीय मत्स्य पालन विकास और एकवा कल्चर एवं मत्स्य पालन संस्थानों को सहायता के लिए है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र:** 208.10 करोड़ रुपए का परिव्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दिया गया है।

**वानिकी और वन्य जीव :** पर्यावरण और वन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2480.00 करोड़ रुपए है। 1275.90 करोड़ रुपए की राशि पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के लिए आबंटित किया गया है। जिसमें अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय नदी संरक्षण हेतु 195.74 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय जलीय प्रास्थिति प्रणाली संरक्षण योजना हेतु 75.00 करोड़ रुपए शामिल है। राष्ट्रीय गंगा नदी-बेसिन प्राधिकरण हेतु 355.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1012.93 करोड़ रुपए की राशि वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए अभिनिश्चित की गई है और इसमें राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के लिए 318.15 करोड़ रुपए; नए शुरु किए गए हरित भारत मिशन हेतु 80 करोड़ रुपए, वन प्रबंधन स्कीम को सघन बनाने के लिए 68.25 करोड़ रुपए, समेकित वन्य जीव बसाव विकास के लिए 78.50 करोड़ रुपए, पशु कल्याण के लिए 23.20 करोड़ रुपए; प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के लिए 185.02 करोड़ रुपए; सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 191.17 करोड़ रुपए, एससीएपी के लिए 42.06 करोड़ रुपए, मंत्रालय के आयोजना बजट के अधीन टीएसपी हेतु 16.00 करोड़ रुपए शामिल है।

**कृषि अनुसंधान और शिक्षा :** कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरडी) राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रावधान के मुख्य संघटक गुणवत्ता वाले बीजों में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों/वर्णसंकर किस्म के बीजों का विकास, जैव-प्रौद्योगिकी को लागू करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान, संसाधनों का संरक्षण, निविष्टि उपयोग क्षमता, जैविक खेती के लिए प्रौद्योगिकी सृजन, प्रतिरक्षीकरण और नैदानिक मूल्य वर्धन एवं जेंडर संबंधी विषयों को सुदृढ़ बनाना है। विभाग के लिए 3415.00 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय है। इसमें से 2575.00 करोड़ रुपए फसल पालन के लिए है। जिसमें पूर्वोत्तर

क्षेत्र के लिए 113.00 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के लिए 86.00 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। मृदा तथा जल संरक्षण के लिए 225.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 25.00 तथा टीएसपी के लिए 25.00 करोड़ रुपए शामिल हैं)। 100.00 करोड़ रुपए जलवायु रेसीलेंट कृषि पहल, (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5.00 करोड़ रुपए हैं), पशुपालन के लिए 230.00 करोड़ रुपए जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15.00 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के लिए 10.00 करोड़ रुपए शामिल हैं, 95.00 करोड़ रुपए मात्स्यिकी (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 2.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), 170.00 करोड़ रुपए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) इम्फाल, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत बारापानी सीएयू के लिए 1.00 करोड़ रुपए, 10.00 करोड़ रुपए, सीएयू बुंदेलखंड तथा 30.00 करोड़ रुपए सीएयू बिहार के लिए दिया गया है।

**खाद्य भंडारण और भांडागारण :** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। 2014-15 में 107.00 करोड़ रुपए की राशि जम्मू व कश्मीर, में पूर्वोत्तर तथा नए उभरते प्रमुख अधिप्राप्ति राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए "भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण" स्कीम के लिए आवंटित की गई है। टीपीडीएस कार्य के कम्प्यूटीकरण के लिए 2014-15 में 19.00 करोड़ रुपए का परियोजना दिया गया है। इसके अलावा, एक नई अम्ब्रेला स्कीम जिसमें मौजूदा स्कीमें अर्थात् "पीडीएस का सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण एवं परामर्श और अनुसंधान के साथ-साथ दो नई स्कीमें नामतः गुणवत्ता नियंत्रण और राज्य खाद्य आयोग हेतु गैर भवन आस्तियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता" का क्रियान्वयन 2014-15 में 22.50 करोड़ रुपए के परियोजना से किया जा रहा है। इन स्कीमों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आयोजना स्कीम-गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ करने का उद्देश्य अधिप्राप्ति भण्डारण और पूरे देश में वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता के पहलुओं का मानीटर करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समुचित कम्प्यूटीकरण के कार्य का घटक-1 का क्रियान्वयन वर्तमान में राशन कार्डों का और अन्य आंकड़ाधारों का डिजीटीकरण आपूर्ति श्रृंखला कम्प्यूटीकरण, पारदर्शिता पोर्टलों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के माध्यम से टीपीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा है। भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा विभिन्न विकास स्कीमों के लिए भी प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम 160.23 करोड़ रुपए के परियोजना से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अपनी भाण्डागारण क्षमता 1,75,780 मीट्रिक टन बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग:** वर्ष 2014-15 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु 770.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेगा फूड पार्क, शीतल श्रृंखला तथा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण को 12 वीं योजना के दौरान और अधिक बढ़ाया गया है। 12 नई मेगा फूड पार्क परियोजनाएं, 75 शीतल श्रृंखला परियोजनाएं और 50 बूचड़खाना परियोजनाएं 12 वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित की गई हैं ताकि इस सेक्टर में अधिक निवेश जुटाया जा सके।

नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात् "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" को 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया है; जिसके लिए इस वर्ष 180.00 करोड़ रुपए दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन एवं भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तेजी से बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर की मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करते रहेंगे।

### ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग का 2014-15 के लिए केंद्रीय आयोजना परियोजना 78452.00 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परियोजना के मुख्य संघटक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास और सड़कें, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण हैं।

**ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)** के लिए परियोजना 4000.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 335.00 करोड़ रुपए शामिल है।

**स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** की पुनर्संरचना एनआरएलएम के रूप में जून 2010 में की गई ताकि परिणामों के लक्षित एवं समयबद्ध प्रदायगी हेतु चरणबद्ध तरीके से मिशन मोड में क्रियान्वित की जा सके। एनआरएलएम को अब "आजीविका" के रूप में नया नाम दिया गया। आजीविका बनाम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत दो मुख्य कार्यनीतियां आईं, जो हैं (i) आजीविका मांग आधारित कार्यक्रम होगा और राज्य अपने पिछले अनुभव, संसाधन और कौशल आधार पर इसके अंतर्गत अपनी गरीबी कम करने की कार्य योजना बनाएंगे और (ii) आजीविका विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय से उप-जिला स्तर के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु व्यावसायिक सहायता संरचना मुहैया कराएगी।

आजीविका के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के गठन के माध्यम से वैश्विक सामाजिक प्रेरणा से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार का कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः परिवार की महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह के नेट में लाया जाएगा। मजबूत लोक संस्थाओं के गठन की दृष्टि से आजीविका ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक स्व-सहायता समूहों के संघ बनाने पर बल देगी। वैश्विक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्व सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ने से अधिक बढ़ेगा। आजीविका के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं और कार्यक्रम क्रियान्वयन में रत कार्मिकों तथा बैंकरों, पंचायती राज संस्था के कर्मचारियों आदि के क्षमता विकास और प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। खपत और आयोत्पादक की परिकल्पना की गई है। खपत और आयोत्पादक क्रियाकलाप करने, दोनों के अर्थ, में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति स्व-सहायता समूह 15,000 रुपए तक परिक्रमी निधि प्रदान की जाती है। बैंकों को तुरंत ऋण की पुर्नअदायगी हेतु स्व-सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 7% और मुख्य उधार दर के बीच अन्तर प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक की सीमा तक बैंकों से लिए गए ऋण के लिए गरीब परिवार को प्रदान किया जाएगा।

**महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना** की शुरुआत महिला कृषकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और ग्रामीण महिला कृषकों विशेषतया छोटे और सीमान्त किसानों का सामाजिक आर्थिक एवं तकनीकी सशक्तीकरण हासिल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप घटक के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक दूसरी स्कीम है देश के प्रत्येक जिले में एक एक ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना जिससे ग्रामीण बीपीएल युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें सूक्ष्म उद्यम चलाने और दिहाड़ी रोजगार करने में समर्थ बनाया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20% निधियां नियोजन सह-बद्ध कौशल विकास एवं नवोन्मेष विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। कौशल विकास की प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य नियमित दिहाड़ी रोजगार सुनिश्चित करने वाले नियोजन के जरिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले विशिष्ट संख्या में परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुनिश्चित करना होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक नई स्कीम जम्मू व कश्मीर में "कौशल सशक्तीकरण और रोजगार हिमायत" का कार्यान्वयन कर रहा है। इसमें आगामी पांच वर्षों में जम्मू व कश्मीर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से एक लाख युवकों को शामिल करने की परिकल्पना की जाती है। 70% निधि का उपयोग दिहाड़ी रोजगार के लिए किया जाएगा और बाकी 30% स्व-रोजगार हेतु। यह सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता स्कीम है।

**ग्रामीण रोजगार:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए केन्द्रीय परियोजना 34000.00 करोड़ रुपए है।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वयन 2 फरवरी,

2006 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों का अकुशल दिहाड़ी रोजगार का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने की व्यवस्था करना है।

मनरेगा में टिकाऊ और उत्पादक आस्तियों के सृजन की परिकल्पना की जाती है जिससे बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और प्रास्थितिकी विकास में योगदान मिलेगा। आस्ति सृजन के उद्देश्य में भी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है और इसके लिए कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी एवं विभागीय कन्वर्जेंस की आवश्यकता होती है।

जमीनी स्तर पर सरकारी व्यय में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने मनरेगा योजना लेखा परीक्षा नियम, 2011 अधिसूचित किया है जिसके तहत मनरेगा के अन्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अन्य क्षेत्र के साथ-साथ योजना लेखा परीक्षा नियम, 2011 में जारी किया प्रत्येक छह माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामाजिक लेखा परीक्षा करने की व्यवस्था है।

वर्ष में एक बार कृषि श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पर मजदूरी दर में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार 23.3.2012 की अधिसूचना द्वारा 2012 में मजदूरी में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2012 से लागू हुई।

पिछड़े जिलों पर विशेष जोर दिया गया जो समेकित कार्य योजना में शामिल किए गए हैं। ऐसे समेकित कार्य योजना जिलों में मनरेगा के कामगारों को समय पर मजदूरी की भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में नकद भुगतान की अनुमति दी गई जहां बैंकों/डाक घरों की पहुँच कम है। मनरेगा के अंतर्गत क्रीडा क्षेत्रों और आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले एक अनुमेय क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रत्येक लाभ अंतरण के लिए सरकार द्वारा लिए गए 51 जिलों में से आधार समर्थित मजदूरी का भुगतान 46 ग्रामीण जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 230.20 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया जबकि 2013-14 (7 फरवरी, 2014 तक) के दौरान 155.90 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया। 2013-14 (7 फरवरी, 2014 तक) के दौरान कुल रोजगार सृजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी क्रमशः 36.2 % तथा 25.2 % थी जबकि कुल रोजगार सृजन का 51.1 % तथा 40.9 % वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था।

**अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम:** वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं का कुल प्रावधान 817.00 करोड़ रुपए है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) (50.00 करोड़ रुपए), लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कॉपार्ट) (10.00 करोड़ रुपए), के लिए प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) (50.00 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा जिला नियोजन प्रक्रिया के सुदृढीकरण को प्रबंधन सहायता (130.00 करोड़ रुपए), तथा बीपीएल सर्वेक्षण (577.00 करोड़ रुपए), के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें से 75.70 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए अलग से रखे गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के विकासात्मक मुद्दों और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करना एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कॉपार्ट) का लक्ष्य विकास कार्यक्रमों तथा आवश्यकता आधारित अभिनव परिवर्तन के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए लोगों को शामिल करना है। कॉपार्ट अधिक सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अवरोधों को कम करने और ग्रामीण जनता को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन जागरण सृजित करने के लिए कार्य करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पुरा) का लक्ष्य गावों से शहरों में पलायन रोकने के लिए उनकी विकास क्षमता बढ़ाने हेतु अभिचिन्हांकित ग्रामीण समूहों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में अन्तर को पाटना है।

**ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबन्धकीय सहायता तथा जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण** योजना का लक्ष्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उचित आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन के लिए जिला/ब्लाक स्तरीय प्रशासनिक ढांचे को तकनीकी सहायता प्रदान करना, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और कौशल विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लक्षित समूहों के बीच जागरूकता लाना, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए व्यापक पद्धति विकसित करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की जरूरतों को पूरा करना है।

बीपीएल सर्वेक्षण के लिए 577.00 करोड़ रुपए का प्रावधान बीपीएल सर्वेक्षण करने वाले राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है ताकि मंत्रालय/सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्षित लाभों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा सके।

**सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)** के लिए 2014-15 हेतु, कुल परिव्यय 10,635.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 1063.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए चिन्हित किए गए हैं। एनएसएपी के अन्तर्गत राज्यों को सहायता में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना, राष्ट्रीय परिवार योजना तथा अन्नपूर्णा योजना शामिल है।

**पंचायती राज :** पंचायती राज मंत्रालय के लिए 2014-15 का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 7000.00 करोड़ रुपए जिसमें से 700.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल की गई है।

पंचायती राज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों और जिला नियोजन समितियों से संबद्ध संविधान के भाग IX क में 243 यघ के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना है।

**बीआरजीएफ** पूर्वोत्तर घटक 590.00 करोड़ रुपए सहित 5900.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस मंत्रालय की मुख्य योजना है। बीआरजीएफ विकास में बाधाओं को हटाने, विकास प्रक्रिया में तेजी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों सहित कार्यक्रम और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों हेतु विकास कार्यक्रमों पर फोकस करना है ताकि असंतुलनों को घटाया और विकास को तेज किया जा सके। बीआरजीएफ के अन्तर्गत पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों की नियोजन तथा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

**राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान** 1006.00 करोड़ रुपए के कुल बजट सहित एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसका लक्ष्य पंचायतों के ज्ञान सृजन हेतु संस्थागत संरचना सुदृढ करना, ग्राम सभा को सुदृढ करना, ईआर का प्रशिक्षण, ई-अभिशासन तथा कार्यों के विकास हेतु राज्यों को प्रोत्साहन, पंचायती राज संस्थाओं की निधियां और कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। पूर्वोत्तर घटक 110.00 करोड़ रुपए है।

20.00 करोड़ रुपए के बजट सहित, **मीडिया और प्रचार** स्कीम का लक्ष्य महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना और जनता में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में 3.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के साथ श्रव्य, दृश्य और मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाना है, कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन मुख्यतः प्रस्तावों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य दीर्घावधिक मुद्दों को देशभर में पंचायती राज में प्रभाव और अनुभव का गहन विश्लेषण करना और राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किये गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है।

**भूमि सुधार :** भूमि सुधार के लिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अधिकार के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्र, सर्वेक्षण/ पुनः सर्वेक्षण का आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डिजीटलीकरण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तहसील/तालुक/सर्किल/खण्ड स्तर पर भूमि अभिलेखों और पंजीकरण कार्यालयों एवं आधुनिक अभिलेख कक्ष/ भूमि रिकार्ड प्रबंधन केन्द्रों के बीच संपर्क बनाना शामिल है। एनएलआरएमपी के अन्तर्गत सभी गतिविधियां जिलों में समाहित हो जाएंगी और जिला कार्यान्वयन की इकाई है। देश में सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत 12वीं योजना के अंत तक कवर किए जाने की अपेक्षा है। एनएलआरएमपी का अन्तिम लक्ष्य देश में प्रकल्पित शीर्षों की मौजूदा प्रणाली को हटाकर समावेशिता की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत तथा मॉनिटर करने वाली समिति का गठन एनएलआरएमपी के अन्तर्गत किया गया है जो परियोजनाओं/प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 389 जिलों को निधियां आवंटित की गई हैं।

भूमि संसाधन निभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी), 2007 तैयार की है जिसका उद्देश्य विस्थापन को न्यूनतम करना है तथा जहाँ तक संभव हो, गैर विस्थापन अथवा कम से कम विस्थापन वाले विकल्पों को बढ़ाना है ताकि पुनर्वास पैकेज और पुनर्वास प्रक्रिया के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

### सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

**वृहत् और मध्यम सिंचाई:** इस घटक के अंतर्गत 722.88 करोड़ रुपए का परिव्यय जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास, जल विज्ञान परियोजना, जल संसाधन विकास योजना के अन्वेषण, जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान तथा विकास, राष्ट्रीय जल अकादमी, सूचना, शिक्षा तथा संचार, नदी थाला संगठन/प्राधिकरण और अवसंरचना विकास राष्ट्रीय जल मिशन को कार्यान्वयन, सिंचाई प्रबंधन तथा बोडवाड सिंचन योजना शामिल है।

**लघु सिंचाई :** इस क्षेत्र के अंतर्गत 380.62 करोड़ रुपए का परिव्यय उन कार्यक्रमों के लिए है जो इस घटक के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने हैं और जिनमें (i) भू-जल प्रबंधन और विनियम, (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, और (iii) अवसंरचना विकास शामिल हैं।

**बाढ़ नियंत्रण :** बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र के लिए 446.50 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसके अंतर्गत दो श्रेणी के कार्यक्रम हैं, (i) बाढ़ नियंत्रण योजनाएं/कार्यक्रम और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता। इस क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ पूर्वानुमान; सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप; ब्रह्मपुत्र बोर्ड और अवसंरचना विकास के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए गहन निगरानी तथा बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना है।

**परिवहन सेवाएं :** इस घटक के अंतर्गत 150.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है इसमें फरक्का बांध परियोजना शामिल है जिसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी सिस्टम के डिजाइन तथा नौवहनता में सुधार करके कलकत्ता पोर्ट को सुरक्षित रखना एवं देख-रेख करना है।

### ऊर्जा

**विद्युत :** विद्युत के लिए कुल परिव्यय 60384.02 करोड़ रुपए है जिसमें से 9,642.00 करोड़ रुपए-उत्तरी पूर्वी विद्युत पावर कारपोरेशन (518.46 करोड़ रुपए), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) (62.92 करोड़ रुपए), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (46.29 करोड़ रुपए), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (4782.73 करोड़ रुपए जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 239.89 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 632.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) तथा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास संसाधन कार्यक्रम (1249.04 करोड़ रुपए जिसमें पूर्वोत्तर के लिए 62.95 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 168.00 करोड़ रुपए शामिल हैं), केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (295.53 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (60.52 करोड़ रुपए), ऊर्जा संरक्षण

(107.65 करोड़ रुपए), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (139.55 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) (478.80 करोड़ रुपए), ब्याज सब्सिडी - राष्ट्रीय बिजली निधि (50.69 करोड़ रुपए), अरुणाचल और सिक्किम राज्यों में पारेषण तंत्र का सुदृढीकरण (175.18 करोड़ रुपए), कारगिल के मार्फत श्रीनगर से लेह की 220 किलोमीटर की पारेषण लाइन (268.14 करोड़ रुपए) तथा डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना के लिए वित्तीय सहायता (1200.00 करोड़ रुपए) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) (200.00 करोड़ रुपए) की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता है।

50742.02 करोड़ रुपए का आईईवीआर - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (22400.00 करोड़ रुपए), एनएचपीसी (2745.46 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम लि. (2764.99 करोड़ रुपए), नीफको (945.88 करोड़ रुपए), सतलुज जल विद्युत निगम लि. (1091.93 करोड़ रुपए), टीएचडीसीआईएल (793.76 करोड़ रुपए) तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (20,000.00 करोड़ रुपए) की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।

**नाभिकीय ऊर्जा:** वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कुल परिव्यय 8213.42 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 970.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 7243.42 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईवीआर) शामिल हैं। बजटीय सहायता में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) के लिए इक्विटी में निवेश और रूसी परिसंघ की सहायता से कुडनकुलम में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना शामिल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं भी जो विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान व विकास सहायता प्रदान करने के लिए हैं, को भी शामिल किया गया है।

**पेट्रोलियम :** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 80677.82 करोड़ रुपए है जिसमें आयोजना परिव्यय में 43.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 80634.82 करोड़ रुपए तेल और गैस की पीएसयू की आईईबीआर के रूप में है। बजटीय सहायता में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे, रायबरेली के लिए 42.00 करोड़ रुपए है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए घरेलू एलपीजी कनेक्शन हेतु एककालिक सहायता की योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पीएसयू की सीएसआर निधियों में से वित्त पोषित की जाएगी।

**कोयला और लिग्नाइट :** भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचना सहायता के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोयला और लिग्नाइट के लिए 2014-15 के लिए आयोजना परिव्यय 12561.00 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इसे 550 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से और आंशिक रूप से अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 12011.00 करोड़ रुपए में से पूरा किया जाएगा। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय अन्वेषण, व्यापक ड्रिलिंग तथा कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा की योजनाओं हेतु 8.2% का प्रावधान किया जा रहा है।

**नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा :** वर्ष 2014-15 के लिए नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 4519.00 करोड़ रुपए है (जिसमें आईईबीआर के रूप में 3000.00 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 1078.00 करोड़ रुपए शामिल है)। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित वास्तविक लक्ष्य/कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं:

(क) **ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत** - पवन, लघुपन, बायोमास विद्युत/सहसर्जन से वर्धित लगभग 4500 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर ऊर्जा; और लगभग 100 मेगावाट के बराबर ऑफ ग्रिड/वितरित नवीकरणीय विद्युत प्रणालियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान। इन आंकड़ों 1000 मेगावाट ग्रिड पावर तथा 60 मेगावाट समतुल्य ऑफ ग्रिड/वितरित सौर विद्युत प्रणाली शामिल हैं, जिसे सौर मिशन के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लाभभागियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

(ख) **ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा** इस प्रावधान का प्रयोग 1.20

लाख फैमिली प्रकार के बायोगैस संयंत्रों के निर्माण और कुक स्टोवों का नया कार्यक्रम आरंभ करने के लिए किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रावधान शामिल है।

- (ग) **शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर थर्मल सिस्टम का नियोजन तथा ऊर्जा-सक्षम भवनों को प्रोत्साहन और सौर शहरों के मास्टर प्लान।
- (घ) **नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास** - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरएंडडी क्रियाकलाप; एमएनआरई केन्द्रों/संस्थानों (एसईसी, सी-डब्ल्यूईटी तथा एनआईआरई) को सहायता; मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन (सौर मिशन के अंतर्गत शुरु की जाने वाली अनुसंधान डिजाइन और विकास गतिविधियों सहित)।
- (ङ) **सहायक कार्यक्रम** - नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का सूचना, प्रचार तथा विस्तार; अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध; मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण सहित प्रशासन और मॉनीटरिंग; राज्यों को सहायता, (सौर मिशन के तहत शुरु किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमलाप सहित)।

### उद्योग और खनिज

**लोहा एवं इस्पात उद्योग:** इस्पात मंत्रालय का कुल परिव्यय 15393.22 करोड़ रुपए है जिसमें से 9,000.00 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न चालू तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) को उपलब्ध कराई गई है।

1724.17 करोड़ रुपए का परिव्यय राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को प्रदान किया गया है। मुख्य अंश आरआईएनएच की उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए चिन्हित किया गया है। शेष परिव्यय परियोजनाओं में वर्धन, संशोधन तथा प्रतिस्थापन (एएमआर) योजनाओं के लिए है। आरआईएनएल के परिव्यय में दो अधिनस्थ पीएसयू नामतः ओएमडीसी लि. तथा बीएसएलसी लि. के परिव्यय शामिल है जो पूर्व बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के घटक थे।

छत्तीसगढ़ में नागरनार में तीन एमटीपीए इस्पात संयंत्रों के लिए एनडीएमसी लि. हेतु 4345.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। शेष परिव्यय विभिन्न एएमआर/टाउनशिप आरएंडडी योजना के लिए है।

एएमआर योजनाओं के लिए केआईओसीएल लि. हेतु तथा अनंतापुरामु खानों के विकास हेतु तथा अनंतापुरामु में पेलेटाइजेशन तथा लाभकारी संयंत्र की स्थापना करने के लिए 50.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। शेष परिव्यय विभिन्न चालू योजनाओं तथा आरएंडडी/संभाव्य अध्ययनों के लिए है।

आरआईएनएन और सेल तथा एएमआर योजनाओं, टाउनशिप, आरएंडडी/संभाव्य अध्ययनों आदि सहित फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु एमओआईएल लि. के लिए 192.05 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थान/अतिथि गृह के विस्तार, संशोधन तथा वर्धन के लिए मैकोन लि. के लिए 5.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

श्रेडिंग संयंत्र की स्थापना के लिए एमएसटीसी लि. हेतु 45.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है जिसे कम्पनी की आईएंडईबीआर में से पूरा किया जाएगा।

एएमआर योजनाओं के लिए फेरो स्क्रैप निगम लि. हेतु 12.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए योजना हेतु 6.00 करोड़ रुपए, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओराइंटिड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स तथा अन्य मूल्य वर्धित नवीन इस्पात उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आरएंडडी योजना के नए घटक के लिए 12.00 करोड़ रुपए तथा नवीनलौह/इस्पात निर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विद्यमान आरएंडडी योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं के लिए 2.00 करोड़ रुपए का

प्रावधान किया गया है।

**अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग:** वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 2379.39 करोड़ रुपए है जिसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में शामिल कार्यक्रमों के लिए 83.00 करोड़ रुपए सहित 1729.39 करोड़ रुपए आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन तथा 650.00 करोड़ रुपए का जीबीएस शामिल है। परिव्यय मुख्य रूप से राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लि., हिन्दुस्तान कापर लि., खनिज अन्वेषण निगम लि., भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, भारतीय खनिज ब्यूरो तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए है।

**उर्वरक उद्योग:** योजना आयोग द्वारा किए गए समग्र आवंटन को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनियों की आमेलन क्षमता पर विचार करते हुए उर्वरक विभाग द्वारा तीन घाटे वाली पीएसयू नामतः ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन (बीवीएफसीएल), फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि. (एफसीटी) तथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय सहायता के आधार पर, घाटे वाली कंपनियां बिना किसी बाधा के अपनी इकाईयां प्रचालित रखती हैं तथा उर्वरकों की आपूर्ति एवं उपलब्धता की पुष्टि किसानों को मौसमवार कहती हैं। प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी (एमआईटी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) जैसी योजनाओं के लिए थोड़ी धनराशि भी चिन्हित की जाती है। 2014-15 के लिए आयोजना परिव्यय 621.64 करोड़ रुपए है जिसमें से 521.64 करोड़ रुपए की धनराशि आईईबीआर में से तथा शेष 100.00 करोड़ रुपए धनराशि बजटीय सहायता के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उर्वरक विभाग विदेशों में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएं तलाश कर रहा है। चूंकि अभी कोई निश्चित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए केवल 5.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल) के लिए जीबीएस भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए विभाग का अंशदान है।

**रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग:** रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए परिव्यय 207.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 102.98 करोड़ रुपए प्लास्टिक सामग्री पर प्रशिक्षण और भौतिक परीक्षण/अनुसंधान के लिए विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए है।

**भारी उद्योग विभाग :** भारी उद्योग विभाग के लिए आयोजना परिव्यय 2488.85 करोड़ रुपए है जिसमें 1,788.85 करोड़ रुपए का आईईबीआर तथा 700.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। आवंटन में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 70.00 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना के लिए 436.94 करोड़ रुपए तथा 113.06 करोड़ रुपए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परियोजना आधारित सहायता, सीपीएसई की पुनःस्थापना तथा स्वायत्तशासी निकायों, कार्यालय के आधुनिकीकरण, पेशेवर तथा विशेष सेवाओं, विज्ञापन और प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है।

**औद्योगिक और खनिज सेक्टर (परमाणु ऊर्जा):** औद्योगिक और खनिज (आई एंड एम) क्षेत्र के अन्तर्गत 2014-15 के लिए परिव्यय 1764.20 करोड़ रुपए है। योजना परिव्यय में 1480.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 284.20 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आं.व. बाह्य संसाधनों के रूप में हैं। 284.00 करोड़ रुपए के आं. व. बा. सं. में इंडियन रेयर अर्थ लि., इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जैसे विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। बजटीय सहायता में ग्यारहवीं योजना की चल रही स्कीमों और बारहवीं योजना की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय ईंधन कम्प्लेक्स, हैवी वाटर बोर्ड और रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी के बोर्ड की नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश के रूप में बजटीय सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग :** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए 3349.00 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 372.00 करोड़ रुपए सहित) का परिव्यय है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन

कार्यक्रम (1418.28 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (132.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (372.00 करोड़ रुपए) और प्रदर्शन और ऋण दर (70.00 करोड़ रुपए), विपणन सहायता (14.00 करोड़ रुपए) और प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता (487.75 करोड़ रुपए), अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण (199.50 करोड़ रुपए), पारम्परिक उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु निधियों की योजना (60.00 करोड़ रुपए) तथा भारतीय समेकित नवाचार निधि (50.00 करोड़ रुपए) शामिल है।

**वस्त्रोद्योग:** कपड़ा मंत्रालय के लिए 4631.00 करोड़ रुपए का परिव्यय (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 463.10 करोड़ रुपए, एससीएसपी के लिए 231.55 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 55.57 करोड़ रुपए सहित) मुख्यतः इनके लिए है; (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना-(2300.00 करोड़ रुपए), (ii) मानव संसाधन विकास (268.00 करोड़ रुपए), (iii) एकीकृत टेक्सटाईल पार्क (350.00 करोड़ रुपए), (iv) जियो टेक्सटाईल पूर्वोत्तर क्षेत्र का उपयोग (85.00 करोड़ रुपए), (v) पूर्वोत्तर टेक्सटाईल प्रोत्साहन योजना (157.00 करोड़ रुपए), (vi) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (292 करोड़ रुपए) (vii) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (213.00 करोड़ रुपए, इत्यादि।

### परिवहन

**रेलवे:** रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 64,305.00 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 30,223 करोड़ रुपए की पूर्ति सकल बजटीय सहायता से की जाती है, जिसमें रेलवे का डीजल उपकर में से 1223.00 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है।

**सड़क परिवहन और राजमार्ग:** सड़क नेटवर्क का विकास और उपयुक्त रखरखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने तथा अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बल देने के लिए बजटीय सहायता बढ़ायी गई है। निम्नलिखित तालिक वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से लिए गए व्यय प्रावधान को दर्शाता है:-

क्र.सं.	मद	(करोड़ रुपए)
		<b>आवंटन</b>
1	राज्यों को अनुदान	2607.00
2	राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	292.63
3	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	35.94
4	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	1.00
5	एनएचएआई में निवेश	6477.81
6	सड़क राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	4500.00
7	ग्रामीण सड़कें (उपकर से)	6262.50
8	रेलवे (उपकर से)	1223.00
	<b>जोड़</b>	<b>21399.94</b>

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पूंजीगत परिव्यय हेतु प्रावधान 5207.56 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र सड़क निधि से वित्त पोषित 4500.00 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

**पोत परिवहन-** वर्ष 2014-15 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय आयोजना परिव्यय 4483.32 करोड़ रुपए है, जिसमें जीबीएस के रूप में 846.00 करोड़ रुपए तथा ईएपी घटक के रूप में 50.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह भारतीय पोत परिवहन, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन और पोतनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए है जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में भारतीय पोत परिवहन निगम, कोचीन शिपयार्ड लि., ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ

इंडिया, और मुख्य पत्तनों का 3637.32 करोड़ रुपए शामिल हैं।

**नागर विमानन:** 5500.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी पूंजी निवेश के रूप में निर्धारित की गयी है। 50.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मंत्रालय (मुख्य) को आयोजना स्कीमों के व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 74.70 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है, जिसमें से 22.00 करोड़ रुपए पकयोंग, सिक्किम (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में इसकी परियोजना के लिए निर्धारित की गई है। 50.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय को उनकी आयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। 40.00 करोड़ रुपए का प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए उनकी आयोजना स्कीमों में व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया है। 10.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को उनके होटल/विमान रसोई के नवीकरण के लिए दी गई है। ऐरो क्लब ऑफ इंडिया को 0.10 करोड़ रुपए का सहायता-अनुदान दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी को 5.10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।

**ग्रामीण सड़कें (सड़कें और पुल):** वर्ष 2014-15 के लिए कुल बजटीय सहायता 1300.00 करोड़ रुपए है, जिसमें 950.00 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, कोर नेटवर्क में विद्यमान सभी पात्र और पहले से न जुड़े वासस्थलों को सभी मौसमों में बनी रहने वाले सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निहित एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले सभी आर्क सड़क मार्ग से न जुड़े हुए वासस्थलों को और पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय (सूची-V) क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों (मरुस्थल विकास कार्यक्रम में चिन्हित) तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत चिन्हित किए अनुसार 82 चुनिंदा आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) उन जिलों में विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन (निर्धारित स्तरों तक) की अनुमति देता है जहां निर्धारित जनसंख्या के सभी वासस्थलों को सभी मौसम में बने रहने वाले सड़क संपर्क उपलब्ध कराए गए हैं।

शुरु में, 1,64,850.38 करोड़ रुपए की अनुमान लागत से 1,38,187 वासस्थलों को जोड़ने के लिए लगभग 5,13,774.60 किलोमीटर की सड़कों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिसमें दिसम्बर 2013 तक उन्नयन शामिल है। राज्यों को 1,09,638.51 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और लगभग 1,07,962.11 करोड़ रुपए दिसम्बर 2013 तक राज्यों द्वारा खर्च किए गए है। कुल 3,89,646.25 किलोमीटर लम्बी सड़क पूरी कर ली गई है तथा 95,497 वासस्थलों को दिसम्बर, 2013 तक सभी मौसम में बनी रहने वाली सड़के प्रदान की गई है।

फिलहाल, पीएमजीएसवाई-II विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क को समेकित करने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य इस मानदंड पर आधारित विद्यमान चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को कवर करना है ताकि सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाया जा सके। मार्गों का चयन ग्रामीण विकास केन्द्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण हबों, महत्वपूर्ण ग्रामीण स्थलों (अन्य विकास पोलो, बाजार, ग्रामीण हब, पर्यटन स्थलों आदि से संपर्क) के पहचान के उद्देश्य से किया जाएगा। ग्रामीण हबों तथा विकास केन्द्रों का विकास ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के जरिए गरीबी कम करने को सुगम बनाने की कार्यनीति के लिए महत्वपूर्ण है। विकास केंद्र /ग्रामीण हब बाजार, बैंकिंग तथा अन्य सेवा सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे स्वरोजगार तथा आजिविका सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II कार्यक्रम के अंतर्गत 33,030.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से (2012-13 के मूल्यां पर) समेकित

ग्रामीण नेटवर्क के उन्नयन के साथ-साथ कुल मिलाकर 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क को कवर किया जा रहा है, इसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 530.00 करोड़ रुपए की लागत से किया जाने वाला प्रशासन और प्रबंधन भी शामिल है। लागत को केंद्र तथा राज्यों /संघ राज्यों क्षेत्रों के बीच मैदानी क्षेत्रों के लिए 75:25 तथा विशेष क्षेत्रों के लिए 90:10 के आधार पर बांटा जाएगा। अनुमानित केन्द्रीय हिस्सा 27,022 करोड़ रुपए (2012-13 के मूल्यों पर) है, जिसमें 530.00 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं प्रबंधन लागत शामिल है।

### संचार

**डाक सेवाएं:** वर्ष 2014-15 हेतु डाक विभाग के लिए 800.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय प्रावधान 80 करोड़ रुपए है)। आयोजना का मुख्य जोर इनसे संबंधित है (i) डाक प्रचालन (78.83 करोड़ रुपए), (ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण (506.39 करोड़ रुपए), (iii) संपदा प्रबंधन (55.40 करोड़ रुपए), (iv) प्रीमियम सेवाएं (17.50 करोड़ रुपए), (v) मानव संसाधन प्रबंधन (31.30 करोड़ रुपए), (vi) वित्तीय सेवाएं (बचत बैंक और प्रेषण) (5.07 करोड़ रुपए), (vii) ग्रामीण कारोबार और पोस्टल नेटवर्क में पहुँच (36.41 करोड़ रुपए) और (viii) पोस्टल परिचालन (52.91 करोड़ रुपए)।

**दूरसंचार सेवाएं:** वर्ष 2014-15 हेतु दूरसंचार विभाग का आयोजना परिव्यय 13000.65 करोड़ रुपए है जिसमें 7000.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 6000.65 करोड़ रुपए की आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन के रूप में शामिल है। सार्वभौमिक सेवा आबंध के तहत योजनाओं के लिए 3538.00 करोड़ रुपए (एनईआर के लिए 363.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 15.00 करोड़ रुपए सहित), रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए 30.65.00 करोड़ रुपए (एनईआर के लिए 305.00 करोड़ रुपए) तथा सी-डॉट के लिए 200.00 करोड़ रुपए (एनईआर के लिए 25.00 करोड़ रुपए और आदिवासी उप आयोजना के लिए 2.25 करोड़ रुपए) की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में 6000.65 करोड़ रुपए शामिल हैं - भारत संचार निगम लिमिटेड (5132.19 करोड़ रुपए), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (808.46 करोड़ रुपए) और सी-डॉट (60.00 करोड़ रुपए)।

**सूचना प्रौद्योगिकी:** संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इलेक्ट्रॉनिक (डीईआईटीवाई) तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीटी) देश में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, उनके क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। आईटी क्षेत्र का 12वीं योजना में दृष्टिकोण और मिशन है - ई अवसंरचना सृजन की एक बहुमुखी कार्यनीति के जरिए भारत का ई-विकास करना ताकि फास्ट ट्रैक ई-गवर्नेंस आसान किया जा सके, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी - सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग जो नवीन/अनुसंधान एवं विकास, जानकारी नेटवर्क बनाने और भारत से साइबर स्पेस को सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी होगा।

वर्ष 2014-15 के लिए डीटी का आयोजना परिव्यय 3315.00 करोड़ रुपए है (आईईबीआर के 795.78 करोड़ रुपए के अतिरिक्त)। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए 332.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) के लिए 67.00 करोड़ रुपए और जनजाति उप आयोजना (टीएसपी) के लिए 222.50 करोड़ रुपए का प्रावधान बजटीय सहायता में शामिल है। इसमें निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र/वर्तमान स्कीमों से संबंधित योजनाओं पर बल दिया गया है, (i) ई-गवर्नेंस (1046.00 करोड़ रुपए) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (246.00 करोड़ रुपए) तथा एनआईसी (800.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (ii) ई-लर्निंग (4495.11 करोड़ रुपए) जिसमें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (300.00 करोड़ रुपए), आईटी में कौशल विकास सहित मानवशक्ति विकास और जनसमूह के लिए आईटी (160.00 करोड़ रुपए), एनआईईएलआईटी (10.00 करोड़ रुपए), शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क

(0.01 करोड़ रुपए), भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास (25.00 करोड़ रुपए) तथा एकीकृत टाउनशिपों के निर्माण के सरलीकरण के लिए (0.10 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (iii) ई-सिक्वोरिटी (238.20 करोड़ रुपए) जिसमें साइबर सिक्वोरिटी (230.00 करोड़ रुपए) तथा प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (8.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (iv) ई-इंडस्ट्री (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर) (220.00 करोड़ रुपए) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (100.00 करोड़ रुपए) तथा परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन का मानकीकरण (120.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (v) ई-इंडस्ट्री (आईटी-आईटीज) (10.00 करोड़ रुपए) जो भारत के सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्कों और ईएचटीपी के लिए है; (vi) ई-इनोवेशन/आर एंड डी (457.00 करोड़ रुपए) जिसमें एडवांस कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (170.00 करोड़ रुपए), आईटीआरए सहित तकनीक विकास परिषद परियोजनाएं (60.00 करोड़ रुपए), माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (100.00 करोड़ रुपए) एपलाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान के लिए सोसायटी (50.00 करोड़ रुपए), अभिसरण, संचार एवं अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक्स (30.00 करोड़ रुपए), मीडिया लैब एशिया (10.00 करोड़ रुपए), घटक एवं पदार्थ विकास कार्यक्रम (27.00 करोड़ रुपए) तथा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हैल्थ इंफोरमेटिक्स में आर एंड डी (10.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; तथा सचिवालय के अन्य खर्च (48.89 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त ई-गवर्नेंस स्कीम के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता घटक को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में पुनर्संरचित किया गया है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना/राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना में राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी), सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), ई-जिला, राज्य सेवा प्रदायगी गेटवे (एसएसडीजी) और ई-गवर्नेंस कार्यक्रम का क्षमता निर्माण शामिल हैं और इसके लिए 800.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

### विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

**परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** वर्ष 2014-15 हेतु अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए 3430.00 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों जैसे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा एवं अनुसंधान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों का विकास तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसे इसके अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की XIवीं योजना की जारी स्कीमों को और XIIवीं योजना की नई स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड जैसी दूसरी संस्थाओं के लिए निधिपोषण है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, और डीएई-यूआईसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में व्यय की व्यवस्था है। परिव्यय में सर्वेक्षण तथपरमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरैनियम के सर्वेक्षण, पूर्वक्षण तथा अन्वेषण और हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केन्द्र जैसी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

**अंतरिक्ष अनुसंधान:** अंतरिक्ष विभाग के लिए 2014-15 हेतु वार्षिक आयोजना परिव्यय (प्रस्तावित) 6000.00 करोड़ रुपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

- अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 3545.63 करोड़ रुपए
- अन्तरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 527.37 करोड़ रुपए
- अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए 375.60 करोड़ रुपए

- (iv) निदेशन और प्रशासन/अन्य कार्यक्रम के लिए 138.42 करोड़ रुपए  
(v) इनसेट कार्यात्मकता के लिए 1412.98 करोड़ रुपए

**समुद्र विज्ञान अनुसंधान और मौसम विज्ञान:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का वर्ष 2014-15 हेतु समग्र आयोजना परियोजना 1281.00 करोड़ रुपये है। इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में मौसम (सामान्य), कृषि, विमानन, नौवहन, खेल आदि के संबंध में मौसम संबंधी विशिष्ट सलाह देना, मानसून, आपदा (चक्रवात, भूकंप, सुनामी समुद्र तल में बढ़ोतरी), जीवंत अथवा निर्जीव संसाधन (मत्स्य संबंधी सलाह, पॉली मेटलिक नोडुल्स, गैस हाइड्रेट, निर्मल जल आदि) तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से यूटी से जुड़े क्षेत्रों में योगदान करने वाली नीतियां और कार्यक्रम आते हैं। लक्ष्यों को पूरा करने और सुपुर्दगी योग्य सेवाओं को पूरा करने हेतु, कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 14 प्रमुख योजनाओं को पुनःअनुस्थापन और नए समूह का निर्माण किया था। कार्यक्रमवार आवंटन इस प्रकार है, (1) वायुमंडलीय अवलोकन प्रणाली नेटवर्क एवं सेवाएं (प्रचालनरत मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान में सुधार के लिए वायुमंडलीय अवलोकन प्रणाली नेटवर्क हेतु 190 करोड़ रुपए), (2) मॉनसून मिशन शुरू करने और गंभीर मौसम के पूर्वानुमानों सहित वायुमंडलीय प्रक्रिया और मॉडलिंग अनुसंधान के संवर्धन हेतु (100 करोड़ रुपए), (3) वैश्विक मॉडलों को चलाने के लिए उच्च निष्पादित परिकलन सुविधा क्षमता का संवर्धन (90 करोड़ रुपए), (4) जलवायु परिवर्तन अनुसंधान (47 करोड़ रुपए), (5) उग्र मौसमी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एयरबोर्न प्लेटफॉर्मों की खरीद (20 करोड़ रुपए), (6) महासागर विज्ञान और सेवाएं तथा महासागरीय अवलोकन (विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समुद्र विषयक सलाहकारी सेवाएं मुहैया कराने और समुद्र विज्ञान सेवा के अंतर्गत 24X7 के आधार पर सुनामी और तूफानों की समुद्री आपदाओं की चेतावनी के लिए 135 करोड़ रुपए), (7) खनिज संसाधनों, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और गहरे हिन्द महासागर और ईईजेड के बाथीमेट्री के अन्वेषण हेतु समुद्री सर्वेक्षण (80 करोड़ रुपए), (8) समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने समेत समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास हेतु (100.00 करोड़ रुपये) रखे गए हैं, (9) (60.00 करोड़ रुपये) दो तटीय अनुसंधान जलयान बदलने के लिए और अनुसंधान जलयानों के प्रचालन और रखरखाव के लिए आवंटित किए गए हैं, (10) 200.00 करोड़ रुपये ध्रुवीय खोज और ध्रुवीय विज्ञान तथा क्रायोस्फीयर कार्यकलापों के लिए अनुसंधान सुविधाओं के सुदृढीकरण के लिए रखे गए हैं, (11) (100.00 करोड़ रुपये) और (54.00 करोड़ रुपये) भूकंपशास्त्र और भूविज्ञान के अध्ययन के लिए रखे गए हैं, (12) अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण तथा पहुंच (भारत तथा पड़ोसी देशों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं सहित विभिन्न अकादमी और अनुसंधान संस्थानों में एक्ट्राम्यूरल अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण सहित क्षमता विकास के लिए 105.00 करोड़ रुपये रखे गए हैं)।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों का परियोजना 3000.00 करोड़ रुपये है जो निम्नलिखित छह प्रमुख उद्देश्यों के तहत इस विभाग के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए है : नीति निर्माण, मानव क्षमता का सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता में सुदृढीकरण, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, भागीदारी और गठजोड़ तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक हस्तक्षेप।

इस विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान और पूर्वानुमान अध्ययन शुरू करने की योजना है।

सरकारी निजी भागीदारी और केंद्र-राज्य प्रौद्योगिकी भागीदारी का नया तंत्र स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सामाजिक संविदा इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना हुआ है। ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी पहुंचाने पर उचित बल दिया जा रहा है। सहायता के लिए नए संस्थानों की पहचान करके उद्यमशीलता और उद्भवन कार्यक्रम को और अधिक मजबूत किया जाएगा। मानव क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों के अन्तर्गत, अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान क्षेत्र में नवाचार और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों को और मजबूत किया जाएगा।

महिला वैज्ञानिकों को आरएण्डडी क्रियाकलापों के लिए विभाग से सहायता दी जाएगी। रोजगाररत महिला वैज्ञानिकों की वहनीयता के लिए कार्यक्रमों का भी ध्यान दिया जा रहा है।

संस्थागत क्षमता को सुदृढ करने के लिए कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ कि शैक्षिक और आरएण्डडी संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार किया जाए।

यह विभाग तकनीकी विकास और तैनाती संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा। उपयोगकर्ता जिन्हें तकनीकियों की आवश्यकता है को तकनीकी उद्देश्यों के चयन में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तकनीकी प्लेटफॉर्मों के सृजन के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी विकास के लिए इस कार्य की पहल भी की जाएगी। नवाचार कलस्टर्स, सुरक्षा तकनीकी सौर ऊर्जा अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन पर विभाग को सौंपे गए मिशनों के विकास संबंधी कार्यक्रमों को भी सुदृढ किया जाएगा।

राज्य विज्ञान और तकनीकी मेकनिज्म को और अधिक सुदृढ किया जाएगा। सरकारी:निजी भागीदारी और केंद्र-राज्य प्रौद्योगिकी भागीदारी का नया तंत्र स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकासशील प्रौद्योगिकी और नवाचारों पर काम कर रहा है जिसे मानकीकृत किए जाने की और इन नवाचारों को आम आदमी तक पहुंचाए जाने की जरूरत है और इन नवाचारों के उन्नयन और समर्थन के लिए आम आदमी के लाभार्थ एक समावेशी निधि बनाई जा रही है।

**अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान:** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का आयोजना परियोजना 2100.00 करोड़ रुपये है जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को 1980.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान शामिल है। आयोजना कार्यकलाप दस स्कीमों के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 6 वर्तमान स्कीमों में हैं और चार नई स्कीमों हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं: राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं; राष्ट्रीय एस एंड टी मानव संसाधन विकास; बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन; आर एंड डी प्रबंधन सहायता; नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल; नवाचार कॉम्प्लेक्स; सीएसआईआर 800 योजना; मुक्त नवाचार हेतु सीएसआईआर योजना; समावेशी, भागीदारी और सहयोगी अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्रीय सिविल वायुयान विकास।

बारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्कीम (वर्तमान में चल रही) के अंतर्गत पांच नए संस्थान वास्तविक मोड में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप जैविक, रसायनिक, इंजीनियरी, सूचना और भौतिक विज्ञान में किए जाएंगे, ग्यारहवीं योजना की वचनबद्धताओं का समर्थन करना; उत्पाद/प्रक्रिया विकास को मापना और उसे वैध कराना; सीएसआईआर आऊटरीच केंद्र आदि स्थापित करना।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आयोजना गतिविधियां चार विभागीय योजनाओं के जरिए चलाई जाने के लिए प्रस्तावित हैं जो इस प्रकार हैं, (i) व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (प्रिज्म) में नवाचार का संवर्धन, (ii) पेटेंट अभिग्रहण और सहयोगी अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास (पेस) और (iii) प्रौद्योगिकी विकास हेतु ज्ञान और प्रसार तक पहुंच (ए2के+) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी योजनाएं नामतः (i) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईल) और (ii) नेशनल रिसर्च विकास निगम (एनआरडीसी) और कंसलटेंसी विकास केन्द्र (सीडीसी)/एक स्वायत्त संगठन है।

**जैव प्रौद्योगिकी:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग का 2014-15 का परियोजना 1500.00 करोड़ रुपये है। सिस्टम जीवविज्ञान, सिंथेटिक जीवविज्ञान, परिकलन विज्ञान, नैनो जैवप्रौद्योगिकी और अन्य उभरते क्षेत्रों में नेटवर्क परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रमुख पहलें भी स्थापित की जाएंगी। इस वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रमुख पहलों में बुनियादी अनुसंधान से जुड़े अंतर-संस्थागत केंद्र स्थापित करना, कृषि/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों के संयुक्त प्रयास से कृषि और देखभाल में भागीदारी केंद्र स्थापित करना; कृषि

उत्पादकता के बेहतर किस्मों के लिए आणविक प्रजनन, गर्भावस्था, शिशु जन्म और पोषण के क्षेत्रों में महा चुनौती कार्यक्रम पृथक प्रबंधन और अभिशासन तंत्र के जरिए शुरू किया जाएगा। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम मजबूत किया जाएगा ताकि विदेशों में बसे वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालय में आकर काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके। कौशल विकास और अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र को सहायता दी जाएगी। जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को सेक्शन 25 कंपनी के तौर पर प्रचालित करना कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें इग्नीशन ग्रांट स्कीम, विश्वविद्यालय-उद्योग इंक्यूबेटर्स और सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। नए संस्थानों के मुख्य परिसरों में भवन निर्माण गतिविधियों को लक्ष्यों के अनुरूप पूरा किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी स्कीमों जैसे कि लघु कारोबार नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) और जैवप्रौद्योगिकी औद्योगिक भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) को कार्यान्वयन हेतु पुनः तैयार किया जाएगा। अनुसंधान संसाधन जैसे विनियामक जांच सुविधा नॉक आउट एनिमल हाउस और बड़े पशु की सुविधाएं, ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म और कृषि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और अकादमियों को सेवा देने हेतु स्थापित किए जाएंगे।

**भेषज:** इस विभाग का परिव्यय 207.00 करोड़ रुपए है जिसमें 8 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (निपेर) को 108.00 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जिनका केन्द्र मोहाली, कोलकाता, अहमदाबाद, रायबरेली, हैदराबाद, हाजीपुर और मदुराई में है। जन औषधि स्कीम को 30.00 करोड़ आवंटित किया गया है। नए भेषज योजनाओं जिसमें कलस्टर्स का विकास शामिल है को 15.00 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

**पर्यटन:** पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1282.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 129.00 करोड़ रुपए शामिल है। योजनाओं के लिए कुल परिव्यय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, हेतु राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन और प्रचार, होटल प्रबन्धन संस्थानों/पाक कला उद्योग को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन, 20 वर्ष की परिदृश्य योजना सहित बाजार अनुसंधान, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता तथा होटलों के लिए भूमि बैंक की स्थापना की स्कीमों के लिए है।

**विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन:** 2014-15 में वाणिज्य विभाग के लिए 2,226.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें 800.00 करोड़ रुपये का प्रावधान निर्यात संबद्ध अवसंरचना के विकास हेतु (60.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु है; कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण हेतु (130.00 करोड़ रुपए); विभिन्न बागान बोर्डों जैसे चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाला बोर्डों हेतु 506.50 करोड़ रुपए, समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 115.00 करोड़ रुपए, निरंतर आधार पर भारत के निर्यात के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम हेतु (200.00 करोड़ रुपए), निर्यात ऋण गारंटी निगम में निवेश (100.00 करोड़ रुपए) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, भेषज क्षेत्र, चर्म और चर्मात्पाद क्षेत्र, चाय बोर्ड और रबड़ बोर्ड, डीजीएफटी के तहत नई योजनाओं के लिए (213.50 करोड़ रुपए) है और 70.00 करोड़ रुपए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

### अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

**कारपोरेट कार्य:** वर्ष 2014-15 हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 24.00 करोड़ रुपए है। यह मुख्यतः कारपोरेट मामलों में दीर्घावधिक और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों को चलाने के विभिन्न विषयों, एनजीओ हब की स्थापना करने और कारपोरेटों के अन्य सीएसआर संबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की वकालत और प्रचार-प्रसार और अन्तर विषय अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं

के साथ अंतर-विषय अनुसंधान और सूचना/ज्ञान विनिमय के लिए विभिन्न संभावित सहयोगों संबंधी - खोज का प्रावधान है।

**वित्तीय सेवाएं:** 2014-15 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूजीकरण हेतु 13400.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है; और महिला स्वयं सेवा समूह विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान, इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फण्ड के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी और कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी को 600.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**विदेश मंत्रालय:** विदेश मंत्रालय के लिए परिव्यय 4000.00 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी देशों को भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये परियोजनाएं भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं। बिहार सरकार द्वारा नालंदा में दिए गए स्थान पर नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का भी निर्माण कार्य चल रहा है। यह विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय:** स्वर्ण प्रवास योजना के क्रियान्वयन के लिए इस मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 20.00 करोड़ रुपए है जिसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय युवाओं के राजगार को बढ़ाना है और उन्हें प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाना है जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय पहचान दिलाया जाएगा।

### सामाजिक सेवाएं

**सामान्य शिक्षा:** सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 51198.00 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 16200.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा किए जाने वाले शिक्षा उपकर से प्राप्तियों के रूप में 27080.00 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधियां मुख्यतया सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

**सर्व शिक्षा अभियान :** सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे सभी को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, स्कूल में बने रहने और गुणवत्ता, की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लिंग समानता को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका शिक्षा पर फोकस करने वाले दो अतिरिक्त संघटक हैं : राष्ट्रीय बालिका प्राथमिक शिक्षा स्तर कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 27758.00 करोड़ रुपए का परिव्यय सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 2771.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

**मध्याह्न भोजन योजना:** प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय पोषाहार समर्थन कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का विस्तार 1 अक्टूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII तक) को शामिल किया जाता है। इस योजना हेतु परिव्यय 13,215.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 1,321.50 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

**माध्यमिक शिक्षा:** माध्यमिक शिक्षा के लिए 8579.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 857.30

करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1500.00 करोड़ रुपए (150.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 853.00 करोड़ रुपए (85.30 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए एक प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को 5000.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर के लिए 500.00 करोड़ रुपए) का अनुमोदन किया गया है। उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में प्रखंड स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीमों के लिए 1200.00 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 120.00 करोड़ रुपए सहित) किया गया है।

**प्रौढ़ शिक्षा** - प्रौढ़ शिक्षा के लिए 111.00 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 11.10 करोड़ रुपए शामिल है। इस आवंटन में अन्य के साथ-साथ साक्षर भारत के लिए कौशल विकास के लिए एनजीओ/संस्थाओं/एसआरसी की सहायता के लिए प्रौढ़ शिक्षा हेतु 100 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 57.20 करोड़ रुपए सहित) शामिल है।

**उच्चतर शिक्षा** - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 16,200.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 3905.00 करोड़ रुपए का आबंटन प्रदान किया गया है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन शामिल है। "आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" के लिए 2200.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 42.00 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 125.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12.50 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है।

**तकनीकी शिक्षा:** 6338.03 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 780.85 करोड़ रुपए सहित) है और इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि के लिए सहायता शामिल है इसमें से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 2500.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 180.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 1300.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 390.00 करोड़ रुपए) जिसमें नए संस्थान भी शामिल हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान हेतु 810.00 करोड़ रुपए (जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर शामिल है) की व्यवस्था की गयी है। आईआईएम के लिए 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**खेलकूद और युवा सेवाएं:** युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 1093.00 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय युवा कोर और युवा और किशोरों के विकास और अधिकारिता के लिए है। खेल के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के लिए अधिक आवंटन रखे गए हैं और राष्ट्रीय खेल संघ और शहरी क्षेत्रों में शहरी खेल अवसरचना को सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना के तहत होनहार खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और पेंशन हेतु भी प्रावधान किया गया है।

**कला और संस्कृति:** वर्ष 2014-15 में संस्कृति मंत्रालय के लिए 1535.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नृत्य, नाटक तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, विज्ञान नगरों, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक

लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, शतवार्षिकियों और जन्मोत्सव समारोह तथा अन्य चालू एवं नई स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजनाओं के लिए 39.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पूर्वोत्तर तथा सिक्किम हेतु 143.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों/योजनाओं हेतु टीएसपी के लिए 28.70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है।

**चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** वर्ष 2014-15 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 30145.00 करोड़ रुपए है (सीएसएस 24690.88 करोड़ रुपए और सीएसएस 5454.12 करोड़ रुपए), जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में योजनाओं/परियोजनाओं के लाभ के लिए 3014.15 करोड़ रुपए शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुस्त्रा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का उद्देश्य नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन की परिकल्पना है। 2014-15 के दौरान इस योजना के लिए 1456.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मानव संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकताओं और चिकित्सा शिक्षा को जोड़ा गया है और इस योजना हेतु 2778.80 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

कुछ अन्य कतिपय स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जैसे, निरीक्षण समिति, बुजुर्ग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और एनसीडीसी की मौजूदा शाखाओं का सुदृढ़ीकरण और 27 शाखाओं की स्थापना, जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के अंतर्देशीय समन्वयन का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य बीमा, वायरल हेपेटाइटिस आदि का समन्वयन।

अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ ही, मिशन सभी को साम्यतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा अनुकूल हो उपबन्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। बाल और मातृत्व मृत्युदर में कमी लाने तथा जनसंख्या में स्थिरता लाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, टीकाकरण में तेजी लाई गई है। मानव संसाधन विकास तथा डाक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रशिक्षण पूरे जोरों से शुरू किया गया है। सभी राज्यों ने मिशन को कार्यान्वित किया है और सभी स्तरों पर समर्थन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली में नई जान फूँकी जा रही है। प्रत्येक गांव में मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति करके, बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या को, स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देकर, कमजोर तबकों को और निकट लाया गया है।

**स्वास्थ्य अनुसंधान:** स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का आयोजना परिव्यय 726.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की योजनाओं/परियोजनाओं के लाभ हेतु 72.60 करोड़ रुपए शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो एक शीर्ष निकाय है, जिसे जैव-चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वयन और तैयार करने हेतु अधिदेश प्राप्त है, को केन्द्र सरकार से स्वास्थ्य-पोषण, असंचारी रोग में अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के लिए रखरखाव अनुदान प्राप्त होता है। परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक दवाइयों और सूचना के प्रकाशन और प्रसार में भी कार्यरत है।

**एड्स नियंत्रण विभाग :** एड्स नियंत्रण विभाग 100% केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार के कार्यक्रमों को एकीकृत करके देश में एचआईवी महामारी को रोकना व इसे उखाड़ फेंकना है। वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित परिव्यय 1,785.00 करोड़ रुपए है।

**आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष):** आयुष का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय में आयुष प्रणालियों को शामिल करके समेकन से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का भाग बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। 2014-15 के लिए आयुष के लिए कुल परिव्यय 1069.00 करोड़ रुपए है।

**महिला और बाल विकास:** महिला और बाल विकास मंत्रालय का 2014-15 का आयोजना परिव्यय 21000.00 करोड़ रुपए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए 2100.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) हेतु आवंटन चालू वर्ष में 18195.00 करोड़ रुपये किया गया है। इस स्कीम में छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व उपचाराधीन माताओं के स्वास्थ्य, पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने मांग पर 20,000 आंगनवाड़ी सहित 7076 परियोजनाओं की संचयी संख्या और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं।

आईसीडीएस स्कीम को अब राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और विश्व बैंक की सहायता से चल रही आईसीडीएस प्रणाली सुदृढीकरण और पोषाहार सुधार परियोजना में विलय कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान इसका कुल आवंटन 18691.00 करोड़ रुपए है (एनएमएम के लिए 300.00 करोड़ रुपए और आईएसएस एनआईपी के लिए 196.00 करोड़ रुपए)। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत कुपोषण के विरुद्ध 19.11.2012 को राष्ट्रव्यापी आईसीडीएस अभियान शुरु किया गया है और 28.12.2012 से बहु-चैनल तरीके के जरिये चार चरण वाले अभियान का प्रचार शुरु किया गया है। चुनिंदा 200 भारग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण के निदान हेतु बहु-क्षेत्रक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम से राज्य, जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरों पर सुदृढ संस्थागत और कार्यक्रम समरूपता के जरिये विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को इकट्ठा करने का प्रस्ताव है। आईएसएसएनआईपी की परिकल्पना बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए प्रणाली सुदृढीकरण के जरिये विद्यमान आईसीडीएस कार्यक्रम की सहायता करना और मूल्यवर्द्धन प्रदान करने के साथ-साथ चुनिंदा राज्यों/जिलों को शीघ्र बाल्य अवस्था शिक्षा और पोषाहार परिणाम प्राप्त करने के लिए आईसीडीएस हेतु प्रयोग करने, नवोन्मेषण और संभावित रूप से अधिक प्रभावी दृष्टिकोणों वाले प्रयोग करने की अनुमति देना है।

मंत्रालय ने 2009-10 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "एकीकृत बाल संरक्षण योजना" शुरु की है। इस स्कीम का उद्देश्य कानूनी दृष्टि में फंसे बच्चों और अन्य संवेदनशील बच्चों सहित उन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की जरूरत में व्यापक विकास हेतु सुरक्षित वातावरण सृजित करना है। दूसरी केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः राजीव गांधी किशोरी कन्या सशक्तीकरण स्कीम (सबला) 2010-11 से कार्यान्वयनधीन है जो किशोरी कन्याओं (11-18 वर्ष) की बहु-पक्षीय समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। शुरु में यह स्कीम प्रयोगिक आधार पर देश भर में 205 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 में सबला के लिए आवंटन 700.00 करोड़ रुपए है।

महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के दृष्टिगत 08 मार्च, 2010 को **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन** शुरु किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों को मिलाकर इन सभी मोर्चों पर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके साथ-साथ यह मिशन मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलोन्मुखी बजटीय व्यवस्था की मॉनीटरिंग और समीक्षा करेगा। वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन हेतु आवंटन 90.00 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन को इंदिरा गांधी

मातृत्व सहयोग योजना में विलय कर दिया गया है और साहस नामक नई योजना बनाई गई है जिसका कुल आवंटन 715.00 करोड़ रुपये है (आईजीएमएसवाई के लिए 400.00 करोड़ रुपए और साहस हेतु 225.00 करोड़ रुपए (आईजीएमएसवाई - सशर्त मातृत्व लाभ योजना है जो विद्यमान आईसीडीएस कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रयोग करते हुए देश के चुनिंदा 53 जिलों में प्रयोगिक हस्तक्षेप है। गृभावस्था और स्तनपान अवधि के दौरान महिलाओं को मातृत्व अवधि के दौरान महिलाओं को मातृत्व लाभ के रूप में पारिश्रमिक हानि की आंशिक प्रतिपूर्ति करने हेतु सशर्त नकदी अंतरण के रूप में यह न्यूनीकरण उपाय है। साहस योजना में स्वाधार गृह, बलात्कार पीड़ितों के लिए पुनरुद्धार न्याय, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता, महिला हेल्पलाइन और वन स्टाप संकट निदान केन्द्र शामिल हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की अन्य महत्वपूर्ण महिला अधिकारिता योजनाओं में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण, प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता कार्यक्रम (स्टंप), प्रियदर्शिनी योजना, "स्वाधार, राष्ट्रीय महिला कोष की लघु ऋण योजना जैसी पुनर्वास और सहायता योजनाएं आदि हैं। मंत्रालय "उज्ज्वला" योजना कार्यान्वित कर रहा है। जिसमें वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अनैतिक देह व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और परिवार/समुदाय से पुनर्मिलन हेतु सहायता दी जाती है।

**जलापूर्ति एवं स्वच्छता:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम और "भारत निर्माण" का एक घटक है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों और परिवारों को हैंडपंपों, पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं आदि के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेय जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित घटकों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है: (i) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में आंशिक रूप से कवर बस्तियों की कवरेज, (ii) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज, (iii) स्रोत और प्रणाली सुस्थिरता उपाय शुरु करना, (iv) मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण (v) जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी और (vi) आईसीडीएस, प्रशिक्षण, एमआईएस, कम्प्यूटरीकरण, अनुसंधान और विकास आदि, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जिन्हें 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है, केन्द्र और राज्यों के बीच कवरेज, गुणवत्ता और प्रचालन व अनुरक्षण के घटकों के लिए 50:50 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। सुस्थिरता, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी और सहायता घटकों को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर निधिपोषित किया जाता है। दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार देशभर में 16.92 लाख ग्रामीण बस्तियों में से 11.61 लाख बस्तियां स्वच्छ और समुचित पेयजल आपूर्ति से पूरी तरह कवर की गई है। 2014-15 के लिए एनआरडीडीब्ल्यूपी और ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के लिए 11,000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 1100.00 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटन का 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। 2014-15 के दौरान, जोर ग्रामीण लोगों को पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं में कवरेज, चल रही योजनाओं को पूर्ण करना, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज को प्राथमिकता देना, ग्रामीण जलापूर्ति स्वच्छता की कवरेज पर ध्यान देना, विशेष रूप से पानी की तंगी वाले खंडों में निरन्तरता घटक के लिए विशेष योजना बनाना और प्रोत्साहन निधियों का प्रभावी रूप से प्रयोग करना ताकि जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

**निर्मल भारत अभियान (एनबीए):** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति को गति देने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में एक उदाहरणार्थ बदलाव की संकल्पना की है जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अब निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। नई कार्ययोजना सामुदायिक संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को "निर्मल भारत" में बदलना है।

अलग-अलग परिवारों की शौचालय इकाइयों हेतु प्रोत्साहन के प्रावधान को सभी अ.जा., अ.ज.जा., छोटे और सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, विकलांगों और सभी बीपीएल परिवारों सहित महिला मुखिया वाले परिवारों को कवर करने के लिए व्यापक बनाया गया है। निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों हेतु स्वच्छता की पहुंच का शत प्रतिशत प्राप्त करना है।

निर्मल भारत अभियान में सम्पूर्ण ग्रामीण भारत के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 607 जिले शामिल हैं, जिनके लिए 2014-15 हेतु 4260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के लिए 426.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, क्रमशः अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति योजना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए कुल आवंटन का 22% और 10% अलग से रखा गया है।

### आवास

**ग्रामीण आवास:** वर्ष 2014-15 के लिए ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 16000.00 करोड़ रुपए है जिसमें 1601.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के रखे गए हैं।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता देकर उन्हें पक्का करना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना के लाभ सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के किसी कार्रवाई में मारे गए सदस्यों के परिवारों तक विस्तारित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए और 3 प्रतिशत विकलांगों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हितों के लिए आरक्षित की गई हैं। इंदिरा आवास योजना की निधियों और भौतिक लक्ष्य का 15 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए अलग से रखा गया है।

ये आश्रय इकाइयां अनिवार्य रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम में आवंटित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से यह पति और पत्नी दोनों के नाम में आवंटित हो सकती है। यदि परिवार में को पात्र महिला न हो मकान पुरुष सदस्य के नाम आवंटित हो सकता है।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता 1 अप्रैल, 2013 से बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपए होगी। तदन्तर, 75000 रुपए प्रति घर का निधिपोषण 82 वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिलों/आईएपी जिलों में भी लागू किया गया है। इस निधिपोषण को केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में निधियां 90:10 के अनुपात में बांटी जाती है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इन्दिरा आवास योजना को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), पेय जलापूर्ति (डीडब्ल्यूएस), आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरजीए) के साथ अभिसारित कर दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का पांच प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों जैसे दंगे, आगजनी, आग और आपवादिक परिस्थितियों आदि में पुनर्वास के लिए उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अलग से रखा जाता है।

**शहरी विकास:** इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 20163.53 करोड़ रुपए है जिसमें 7060.00 करोड़ रुपए के केंद्रीय प्रायोजित प्लैगशिप योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और आईईबीआर के

जरिये 3616.53 करोड़ रुपए शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए यह प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समान विकास का उद्देश्य प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने और अन्य शहरी विकास स्कीमों के लिए किया गया है, अर्थात् सेटेलाइट शहरों/काउंटर मैगनेट शहरों में शहरी अवसंरचना का विकास इसमें केंद्रीय प्रायोजित प्लैगशीप योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के प्रशासनिक खर्चों के अंतर्गत शहर की विकास परियोजना बनाने, व्यापक परियोजना रिपोर्टें बनाने और तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठियां और परामर्श सेवाओं के लिए प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% एक मुश्त प्रावधान, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान सामान्य पूल रिहायशी और गैर रिहायशी आवास, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, कोच्ची, जयपुर, मुम्बई और अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं में इक्विटी निवेश, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) से ऋण, अनुदान और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

**सूचना, प्रचार और प्रसारण:** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 1105.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें 200.00 करोड़ रुपये के आं.व.बा.सं. शामिल है। इसमें 243.82 करोड़ रुपए सूचना क्षेत्र, फिल्म क्षेत्र के लिए 115.15 करोड़ रुपये और प्रसारण क्षेत्र के लिए 746.03 करोड़ रुपए हैं। प्रसार भारती के लिए आयोजना आवंटन 705.03 करोड़ रुपये है जिसमें 200.00 करोड़ रुपये के आं.व.बा.सं. हैं। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए 90.50 करोड़ रुपये अलग से भी रखे हैं।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र:** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद की अपनी स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से सड़क और पुल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जलापूर्ति, मृदा-क्षरण रोकने आदि क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की सहायता करता है। पूर्वोत्तर परिषद की व्यापक स्कीमों की सहायता करने के लिए 770.00 करोड़ रुपए और एनएलसीपीआर के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना में बड़े अंतरों को पाटने के लिए 950 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सूक्ष्म वित्त बढ़ाने और लघु क्षेत्रों की सहायता करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहनीय बिजली के लिए ट्यूरिलय हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को 72.00 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने व उनके उन्नयन हेतु सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 170.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

### कल्याण

**अनुसूचित जातियों का कल्याण:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 6165.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 229.50 करोड़ रुपए सहित)। अनुसूचित जाति उप-आयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 28.60 करोड़ रुपये सहित 1260.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से संभवतः लगभग एक लाख अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ होगा। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 1500.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 30 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान है। संभवतः इससे लगभग 65 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 78.50 करोड़ रुपए सहित 785 करोड़ रुपए) में संभवतः लगभग 22 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

**अशक्तता मामले :** अशक्तता मामले विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 565.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें अशक्त व्यक्तियों हेतु सहायता सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिट करने के लिए सहायता की योजना हेतु 110.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस योजना से लगभग 2.80 लाख अशक्त व्यक्तियों को लाभ होने की सम्भावना है। 2.75 लाख अशक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु दीनदयाल अशक्त पुनर्वास योजना के लिए भी 85.00 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

**जनजातीय मामले :** 4379.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें प्रशिक्षण और सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवाओं में ईनाम सहित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (36.50 करोड़ रुपए) जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण (3.00 करोड़ रुपए) कम साक्षरता जिलों में अ.ज.जा. बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढीकरण (40.00 करोड़ रुपए), जनजातीय उत्पादों/उत्पाद का बाजार विकास (35.00 करोड़ रुपए) लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता-अनुदान (15.00 करोड़ रुपए) मुख्यतः संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास (207.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता (70.00 करोड़ रुपए), अ.ज.जा. विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (50.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (1.00 करोड़ रुपए), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी हेतु मूल्य श्रृंखला के विकास के जरिये लघु वन उत्पाद के विपणन हेतु प्रणाली (317.00 करोड़ रुपए) विश्व बैंक परियोजना - जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के सुधार हेतु (3.86 करोड़ रुपए) सूचना अनुसंधान और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (25.64 करोड़ रुपए), अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम (1058.00 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-आयोजना के तहत स्कीम (120.00 करोड़ रुपए) और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत स्कीम (1317.00 करोड़ रुपए) के प्रावधान शामिल हैं।

**अल्पसंख्यक:** अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 3711.00 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के प्रावधानों सहित है। इस परिव्यय में 18 योजनाएं शामिल हैं यथा, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को सहायता-अनुदान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध स्कीमें, अनुसंधान/अध्ययन, अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास स्कीमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगी राज्य चेनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना, राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण, विदेशों में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋणों संबंधी ब्याज सब्सिडी, छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की गिरती हुई जनसंख्या को रोकने की योजना, कोशल विकास पहलें और सं.लो.से.आ./क.च.आ./राज्यों के लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर विद्यार्थियों को सहायता आदि है।

**श्रम और रोजगार:** श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए सकल आधार पर 2446.00 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कार्य करने की

स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, एससीएसपी, टीएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की स्कीमों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

### सामान्य सेवाएं

**सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन:** वर्ष 2014-15 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 528.00 करोड़ रुपए है जिसमें 52.80 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2014-2015 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) हेतु 3950.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। मंत्रालय 2014-15 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अतिरिक्त 5 आयोजना योजनाएं क्रियान्वित करेगा: (i) क्षमता विकास; (ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान, (iii) परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सुदृढीकरण, मानीटरिंग और मूल्यांकन (iv) आर्थिक जनगणना और (v) भारतीय सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना। आयोजना स्कीमों के मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ करना है ताकि न्यूनतम समय अंतराल और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहतर नीति और योजना निर्माण को सुसाध्य बनाने हेतु आंकड़ों में अन्तरालों को पाटने सहित सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ आंकड़ों की समय पर उपलब्धता बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अवसंरचना क्षेत्रों का निष्पादन, 150.00 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की केंद्रीय परियोजनाओं का अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

**योजना:** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपे गए विशिष्ट पहचान के कार्य के कार्यान्वयन हेतु 2014-15 के लिए 2039.64 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को प्रत्येक योजना स्कीम के अंतर्गत व्यय, परिणाम और प्रयुक्त की गई राशि संबंधी राज्यवार/जिलावार रिपोर्ट बनाने सहित व्यय पर नजर रखने व सूचना देने हेतु समुचित प्रबंध सूचना प्रणालीय/निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने के लिए 369.57 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

**न्याय प्रशासन:** विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का आयोजना परिव्यय 1103.00 करोड़ रुपये है, इसमें से 94.00 करोड़ रुपये न्याय प्रदाय और विधायी सुधारों हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए है अर्थात् राष्ट्रीय मिशन-कार्य योजना कार्यान्वयन (5.00 करोड़ रुपये), माडल न्यायालयों की स्थापना (26.00 करोड़ रुपये), न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन (5.00 करोड़ रुपए) न्याय तक पहुंच - भारत सरकार (8.00 करोड़ रुपए), देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए चल रही परियोजनाओं हेतु 68.00 करोड़ रुपये और न्यायपालिका (क्षमता निर्माण और अवसंरचना सुविधाएं) हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु 936.00 करोड़ रुपये, और 5.00 करोड़ रुपये भारत में हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच (विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम) के लिए रखे गए हैं।